

## आदेश

विषय :- प्राथमिकता वाले कृषि कनेक्शन आवेदको को मांग पत्र जारी करने के संबंध में।

\*\*\*\*\*

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित विभिन्न आवेदको को कृषि कनेक्शन मांग पत्र में तुरन्त/3 वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 1507 दिनांक 07.09.2009 (आरई ओ-169) में वर्ष 2009-10 में द्वितीय चरण के मांग पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गयी है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि तुरन्त प्राथमिकता एवं 3 वर्ष की प्राथमिकता वाले आवेदको जिन्होंने 31.03.2009 तक आवेदन कर दिया था को मांग पत्र प्राथमिकता अनुसार जारी किया जाए।

उदाहरण :- यदि किसी कार्यरत सैनिक ने 25 फरवरी 2009 को आवेदन किया है, तो उसकी आवेदन दिनांक 25 फरवरी 2006 मानी जावे। यदि उस उपखण्ड में 25 फरवरी 2006 या इसके बाद के आवेदित सामान्य श्रेणी के आवेदको को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं, तो उक्त कार्यरत सैनिक को मांग पत्र जारी कर दिया जावे।

(एम.एल.त्रिपाठी)

उप मुख्य अभियन्ता (सीएण्डपी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एम।मसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता) /उप अधीक्षक पुलिस (सर्तकता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर

उप मुख्य अभियन्ता (सीएण्डपी)